संख्या–यू0ओ0–190 / 23–1–11

प्रेषक,

एच0एन0पी0 कुशवाहा,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) / विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 लखनऊ :दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी–देवां–फतेहपुर प्रमुख जिला मार्ग–11 सी0 के किमी0 1 से 13 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, नियोजन वर्ग, (मुख्य अभियंता, मु0–1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक–1069नि0 / 142–01नि / 2011, दि0 23–6–2011 द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी–देवां–फतेहपुर प्रमुख जिला मार्ग–11 सी0 के किमी0 1 से 13 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन / प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार कार्य कराये जाने हेतु रू0 1422.19 लाख (रूपये चौदह करोड़ बाइस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 285.00 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चासी लाख मात्र) का धनावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत पूँजीगत मद से किये जाने की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(रू0 लाख में)

क. सं.	मार्ग का नाम जनपद बाराबंकी	लम्बाई (किमी0)	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी–देवां–फतेहपुर प्रमुख जिला मार्ग–11 सी0 के किमी0 1 से 13 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.00	1422.19	285.00
	योग –	**6.00**	**1422.19**	**285.00**

(1) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त कार्य में कोई द्विविरावृत्ति (**Duplicacy**) न होने पायें।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नही की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता का होगा।